राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं0:-0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

दिनांक :- 06-06-25

क्रमांकः- एफ.4(ई)निप/एन-174/अलेसे-II/1498

आदेश

श्रीमती नूतन शाह, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II, पदस्थापन कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, परियोजना गोगुन्दा, उदयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा अपराध संख्या 134/2025 अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 30.05.2025 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

अतः राजस्थान सिविल सेवाऐं(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नूतन शाह, सलेअ-II को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 30.05.2025 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been Suspended) एतदद्वारा आदेश प्रदान किये जाते है।

पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने के पश्चात् श्रीमती शाह का निलम्बन के दौरान मुख्यालय कोषालय, कोटा के कार्यालय में रहेगा। श्रीमती शाह को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 06-06-25

क्रमांकः- एफ.4(ई)निप/एन-174/अलेसे-II/1498

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
6. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोषालय, उदयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोषालय, कोटा।
9. श्रीमती नूतन शाह, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II, तत्कालीन पदस्थापन कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, परियोजना गोगुन्दा, उदयपुर।
10. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
12. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
13. निजी पत्रावली/रक्षित फाइल।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)